Balancing Protection and Autonomy: Rethinking the Criminalisation of Adolescent Sexuality

Executive Summary (Hindi)

September 2025

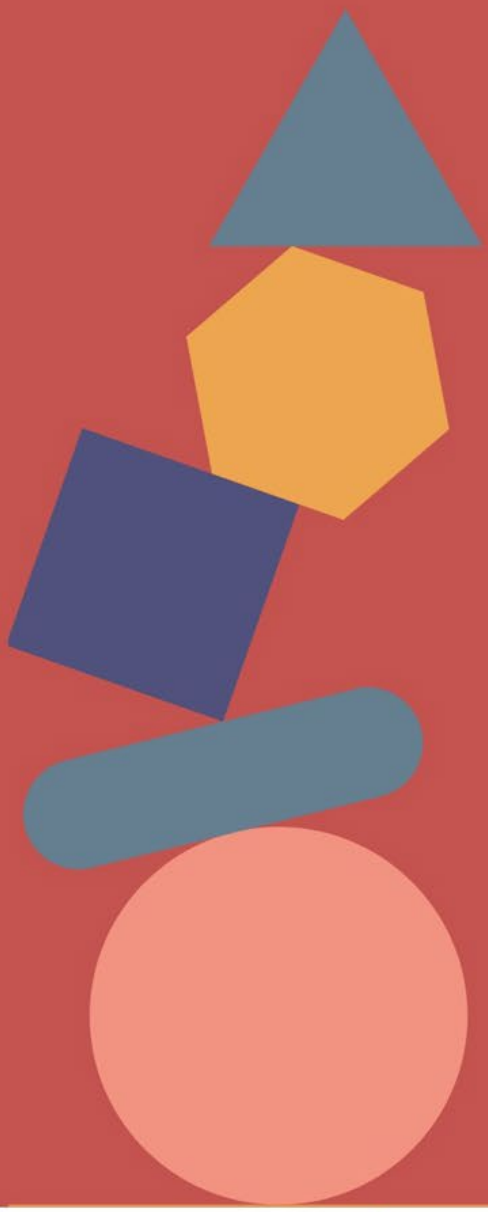

National Coalition
Advocating for
Adolescent Concerns

enfold

Balancing Protection and Autonomy: Rethinking the Criminalisation of Adolescent Sexuality

September 2025

Executive Summary (Hindi)

Endorsed by

National Coalition Advocating for Adolescent Concerns

NCAAC

संरक्षण और स्वायत्तता का संतुलन:
किशोरावस्था की यौनिकता के अपराधीकरण पर पुनर्विचार

कार्यकारी सारांश

प्रसंग

बाल यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO अधिनियम) ने भारत में सहमति की आयु 16 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी। POCSO अधिनियम शोषणकारी और गैर-शोषणकारी यौन कृत्यों में कोई अंतर नहीं करता, और बच्चे की सहमति को पूरी तरह अप्रासंगिक मानता है। परिणामस्वरूप, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के बीच किए गए यौन कृत्य, भले ही वे वास्तविक रूप से सहमति-आधारित और गैर-शोषणकारी हों, कठोर न्यूनतम सज़ाओं वाले अपराध माने जाते हैं। POCSO अधिनियम किसी भी व्यक्ति या संस्था को, जिसे इस अधिनियम के तहत किसी अपराध के किए जाने की जानकारी या आशंका हो, इसकी रिपोर्ट करना अनिवार्य बनाता है, और रिपोर्ट न करने पर दंड का प्रावधान है।

किशोरावस्था को सार्वभौमिक रूप से एक विशिष्ट चरण के रूप में मान्यता दी गई है, जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं, और यौन अन्वेषण भी उनकी विकासात्मक यात्रा का हिस्सा होता है—सीमाओं को समझने और अपनी पहचान बनाने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण तत्व। अंतरराष्ट्रीय मानक राज्यों से आग्रह करते हैं कि वे इस विकास चरण में किशोरों का समर्थन करें और समान आयु के किशोरों के बीच तथ्यात्मक रूप से सहमति-आधारित तथा गैर-शोषणकारी यौन गतिविधियों को दंडित न करें।

अनुभवजन्य अध्ययनों और सार्वजनिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणों से पता चलता है कि भारत में किशोर यौनिकता एक वास्तविकता है। न्यायिक निर्णयों पर आधारित कई अध्ययनों से संकेत मिलता है कि POCSO मामलों में से लगभग 15–27% मामलों में किशोरों के बीच सहमति-आधारित संबंध शामिल होते हैं। ऐसे कृत्यों के अपराधीकरण को भारत की उच्च न्यायपालिका, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, सिविल सोसाइटी संगठनों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा व्यापक रूप से एक समस्या के रूप में स्वीकार किया गया है।

2023 में, भारत के विधि आयोग ने इस व्यापक अपराधीकरण के प्रतिकूल प्रभावों को स्वीकार किया, लेकिन यह भी चिंता व्यक्त की कि अपराधमुक्तिकरण से बाल विवाह, तस्करी और बच्चों द्वारा झेले जाने वाले ऑनलाइन खतरों से निपटने के प्रयास कमजोर हो सकते हैं।

अपराधीकरण के निहितार्थ

सर्वव्यापी अपराधीकरण तथ्यात्मक रूप से सहमति-आधारित और गैर-शोषणकारी यौन कृत्यों को बलात्कार और अन्य यौन अपराधों के साथ एक ही श्रेणी में रख देता है। यह किशोरों के सामान्य यौन विकास, उनकी विकसित होती क्षमताओं, तथा उनके शारीरिक स्वायत्तता और गरिमा की उपेक्षा करता है। बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री (चाइल्ड पोर्नोग्राफी) को प्रतिबंधित करने वाले प्रावधानों की व्यापक भाषा और विस्तृत न्यायिक व्याख्या के कारण किशोर स्वयं-निर्मित यौन सामग्री (SGSM) को सहमति से साझा करने पर भी अपराधीकरण के जोखिम का सामना करते हैं।

रिपोर्ट होने पर किशोरों को आपराधिक जांच, गिरफ्तारी और हिरासत, चिकित्सीय परीक्षण, पूछताछ और मुकदमे जैसी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, जो उनके जीवन पर कलंककारी और विघटनकारी प्रभाव डालती हैं। यह उनके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, गरिमा और गोपनीयता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, उनके सर्वोत्तम हितों को कमजोर करता है और उनकी शिक्षा, रोजगार, आत्म-सम्मान, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक प्रतिष्ठा और पारिवारिक जीवन को प्रभावित करता है।हालांकि दोषसिद्धि कम होती है, लेकिन प्रक्रिया ही दंड बन जाती है। कानून के कठोर अनुप्रयोग और न्यायिक विवेकाधिकार के अभाव के कारण कई मामलों में उच्च न्यूनतम अनिवार्य दंड लागू हो जाता है।

यद्यपि कानून लैंगिक रूप से तटस्थ है, फिर भी जब दोनों पक्ष नाबालिग होते हैं, तो किशोर लड़कों को स्वचालित रूप से 'अपराधी' और लड़कियों को 'पीड़िता' माना जाता है। 16 वर्ष से ऊपर के किशोर लड़कों को कथित बलात्कार या प्रवेशन लैंगिक हमला, यौन उत्पीड़न के मामलों में वयस्क के रूप में मुकदमे का सामना करने का भी जोखिम होता है। नाबालिग लड़कियों को, यदि वे अपने माता-पिता के साथ वापस जाने से इनकार करती हैं या माता-पिता उन्हें वापस लेने से मना कर देते हैं, तो लगभग हमेशा 18 वर्ष की आयु तक बाल देखभाल संस्थानों में संस्थागत कर दिया जाता है।इससे उनकी शिक्षा और रोजगार तक पहुंच बाधित होती है, उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, और उनकी स्वतंत्रता छिन जाती है।

किशोरों के यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक बिना बाधा पहुंच के अधिकार को POCSO अधिनियम के अनिवार्य रिपोर्टिंग दायित्व के कारण गंभीर रूप से बाधित किया जाता है, क्योंकि यह रिपोर्ट करना आवश्यक बनाता है—भले ही नाबालिग स्वयं ऐसा नहीं करना चाहता हो। इस कारण किशोर स्वास्थ्य सेवाएँ लेने से घबराते हैं, क्योंकि उन्हें जानकारी उजागर होने का डर होता है, आपराधिक न्याय प्रणाली में उलझने की आशंका रहती है और सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ सकता है।

इसके अतिरिक्त, ऐसे मामले पहले से ही दबाव में चल रही आपराधिक न्याय प्रणाली पर और अधिक बोझ डालते हैं, क्योंकि ये न्यायपालिका, पुलिस, बाल संरक्षण प्रणाली, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं का भारी समय और संसाधन खर्च करते हैं। यह बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों की घटनाओं के आँकड़ों को वास्तविक से अधिक दिखाता है, न्याय के त्वरित निपटान को प्रभावित करता है, बरी होने की दर को असंतुलित करता है, और अंततः यौन हिंसा के मामलों में न्याय के प्रति जनता की धारणा को प्रभावित करता है।

किशोर यौनिकता के अपराधमुक्तिकरण के लिए प्रस्तावित रूपरेखा

यह प्रस्ताव किया गया है कि 16 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों के बीच तथ्यात्मक रूप से सहमति-आधारित और गैर-शोषणकारी यौन कृत्यों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया जाए, जबकि 16–18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए POCSO अधिनियम के तहत उपलब्ध सभी सुरक्षा—जैसे विशेष न्यायालय में सुनवाई और बाल-मैत्रीपूर्ण प्रक्रियाएँ—जारी रहें। विशेष रूप से, 16 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के साथ सहमति-आधारित यौन कृत्य को तब तक अपराध नहीं माना जाना चाहिए, जब तक कि वह ऐसी विशिष्ट परिस्थितियों के अंतर्गत न आता हो जो सहमति को अमान्य बनाती हैं या शोषण की स्थिति उत्पन्न करती हैं, जैसे कि जब साथी विश्वास या अधिकार की स्थिति में हो।

अपराधमुक्तिकरण के साथ व्यापक यौन शिक्षा, बिना बाधा वाली यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच, तथा कानूनी और बाल संरक्षण कार्यकर्ताओं का संवेदनशीलता प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है, ताकि किशोरों की स्वायत्तता और गरिमा की रक्षा की जा सके।

यद्यपि समान आयु के किशोरों के लिए अपवाद (close-in-age exemptions) और न्यायिक विवेकाधिकार को व्यापक अपराधीकरण के विकल्प के रूप में प्रस्तावित किया गया है, लेकिन दोनों ही दृष्टिकोण गिरफ्तारी, मुकदमे और संस्थागतकरण की प्रक्रिया से होने वाले आघात और व्यवधान का समाधान नहीं करते। ये विकल्प सामान्य किशोर यौन व्यवहार को अपराधीकरण से होने वाले मूलभूत नुकसान को स्वीकार नहीं करते और मनमाने परिणामों का जोखिम उत्पन्न करते हैं। स्पष्ट रूप से परिभाषित परिस्थितियों—जिनमें सहमति अमान्य होती है—और किशोर-अनुकूल सहायता प्रणालियों के साथ अपराधमुक्तिकरण सबसे न्यायसंगत और प्रभावी दृष्टिकोण है।

किशोर यौनिकता के अपराधमुक्तिकरण से जुड़े बाल संरक्षण संबंधी चिंताएँ और संभावित समाधान

बाल विवाह पर निहितार्थ

यह चिंता व्यक्त की जाती है कि किशोरों के बीच सहमति-आधारित और गैर-शोषणकारी यौन कृत्यों के अपराधमुक्तिकरण से बाल विवाह को कम करने के प्रयास कमजोर हो सकते हैं, और लड़कियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। भारत में बाल विवाह की व्यापकता गरीबी और शिक्षा की कमी से गहराई से जुड़ी हुई है। प्रारंभिक और बाल विवाह के पीछे मौजूद गरीबी और संरचनात्मक असमानताओं के व्यापक संदर्भ को संबोधित करना आवश्यक है।अध्ययन बताते हैं कि POCSO अधिनियम और बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 (PCMA) का उपयोग असमान रूप से उन स्वयं-प्रेरित विवाहों के विरुद्ध किया जाता है जो सहमति-आधारित संबंधों—जैसे अंतर-धर्म या अंतर-जाति संबंधों—से उत्पन्न होते हैं, जबकि परिवार द्वारा तय किए गए विवाहों पर अपेक्षाकृत कम कार्रवाई होती है। आपराधिक कानून का उपयोग मुख्य रूप से सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंडों तथा जातिगत सीमाओं को बनाए रखने के लिए किशोर लड़कियों की पसंद पर माता-पिता के नियंत्रण को लागू करने हेतु किया जाता है, न कि उन्हें प्रारंभिक या जबरन विवाह से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए। कम उम्र में विवाह से उत्पन्न होने वाली शुरुआती गर्भावस्था के स्वास्थ्य जोखिमों से निपटने के लिए व्यापक और प्रत्यक्ष हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है—जैसे व्यापक यौन शिक्षा, प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक समय पर पहुंच, गर्भनिरोधक विकल्प, और पर्याप्त पोषण। अपराधीकरण उनकी यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में बाधाएँ बढ़ाता है, उनके परिवार के लिए जोखिम का वातावरण बनाता है, और ऐसी शादियों में शामिल किशोर लड़कियों को आपराधिक न्याय प्रणाली शुरू होने के भय से चिकित्सा देखभाल लेने से रोकता है।

हालांकि स्वयं-प्रेरित नाबालिग विवाहों में सहमति सामाजिक वास्तविकताओं और दबावों से प्रभावित हो सकती है, अपराधीकरण इन मूल कारणों को दूर करने में प्रभावी नहीं है, क्योंकि यह इन वर्जनाओं, यौन शुद्धता की धारणाओं और माता-पिता के नियंत्रण को और मजबूत करता है। POCSO अधिनियम पर अधिक निर्भर रहने के बजाय प्रयासों को रोकथाम उपायों को मजबूत करने और PCMA के प्रभावी क्रियान्वयन पर केंद्रित करना चाहिए।दंडात्मक कानून से आगे बढ़ते हुए, सकारात्मक उपाय जैसे विवाह रद्द करने का विकल्प भी प्रभावी रूप से लागू किया जाना चाहिए। हस्तक्षेपों को इस तरह डिजाइन किया जाना चाहिए कि वे कम उम्र में, जबरन और स्वयं-प्रेरित विवाहों के विशिष्ट कारणों को पहचानें और संबोधित करें। संरचनात्मक हस्तक्षेप, जैसे कि विशेष बाल विवाह निषेध अधिकारी सुनिश्चित करना, गरीबी निवारण, 18 वर्ष तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा तक पहुंच, शर्तीय नकद हस्तांतरण, और लैंगिक रूपांतरणकारी दृष्टिकोण, दंडात्मक कानूनों की तुलना में बाल विवाह को कम करने में अधिक प्रभावी हैं।

अंततः, यौन सहमति और विवाह की आयु के लिए विचार मूल रूप से भिन्न हैं और इन्हें एकसाथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। जबकि किशोरों द्वारा यौनिकता की खोज सहमति और स्वायत्तता की सीमा पर प्रश्न उठाती है, विवाह में महत्वपूर्ण अतिरिक्त जिम्मेदारियाँ और कानूनी दायित्व शामिल होते हैं, जो दोनों के लिए अलग-अलग आयु निर्धारित करने को उचित ठहराते हैं।

इसके अलावा, किशोर यौनिकता का अपराधमुक्तिकरण नाबालिग विवाह के खिलाफ कानूनों के प्रवर्तन को रोकता नहीं है। जोर दंडात्मक आपराधिक प्रतिबंधों से हटकर सहायक तंत्रों पर होना चाहिए, जो किशोरों को बाल विवाह का विरोध करने, उसे स्थगित करने और उससे बाहर निकलने में सक्षम बनाएं, बिना किशोरों को अतिरिक्त नुकसान पहुँचाए।

बाल तस्करी पर निहितार्थ

इस बात की चिंता है कि किशोरों के बीच तथ्यात्मक रूप से सहमति-आधारित और गैर-शोषणकारी यौन कृत्यों का अपराधमुक्तिकरण बाल तस्करी के खिलाफ प्रयासों को प्रभावित कर सकता है। तस्करी विभिन्न माध्यमों से और विभिन्न उद्देश्यों के लिए हो सकती है, और जबकि कुछ संबंध तस्करी के लिए मार्ग बन सकते हैं, नीतियाँ इस आधार पर नहीं बनाई जा सकतीं कि सभी किशोर संबंध या स्वयं-प्रेरित बाल विवाह अनिवार्य रूप से तस्करी में परिणत होंगे।

सभी किशोर संबंधों को स्वचालित रूप से शोषणकारी मान लेना उन यौन कृत्यों के बीच अंतर को अस्पष्ट कर देता है जो सामान्य हैं और उन कृत्यों से जो यौन शोषण के उद्देश्य से किए जाते हैं। यौन शोषण और यौन शोषण के लिए तस्करी अलग-अलग हानियाँ हैं और अपराधों की प्रभावी अभियोजन के लिए अलग ढांचे की आवश्यकता होती है। इस बात की आशंका कि नाबालिग की सहमति तस्करी संबंधी कृत्यों में वैध रक्षा के रूप में काम कर सकती है, गलत है क्योंकि तस्करी के अपराध के निर्धारण में पीड़िता की सहमति का कोई महत्व नहीं होता।

इसके अतिरिक्त, केवल POCSO अधिनियम पर निर्भर रहकर तस्करी को संबोधित करने की रणनीति तस्करी में शामिल विभिन्न कर्ताओं की जिम्मेदारी और तस्करी के विभिन्न चरणों में होने वाले अनेक अन्यायों को नजरअंदाज करती है। प्रभावी एंटी-ट्रैफिकिंग उपायों के लिए प्रवर्तन एजेंसियों को शोषण की पहचान करने के लिए प्रशिक्षित करना आवश्यक है, न कि सभी किशोर अंतरंगता को दंडित करने के लिए।

बच्चों के खिलाफ ऑनलाइन हानियों पर निहितार्थ

आज के किशोर और बच्चे डिजिटल माहिर हैं, और कई के लिए डिजिटल क्षेत्र उनके वास्तविक जीवन से अलग नहीं है। इंटरनेट का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए करने के अलावा, किशोर इसका उपयोग रोमांटिक और यौन अन्वेषण, संबंध बनाए रखने, रोमांस के समाप्त होने से निपटने, और यौन स्वास्थ्य जानकारी प्राप्त करने के लिए भी कर रहे हैं। डिजिटल क्षेत्र में किशोरों के लिए जोखिम मौजूद हैं, जैसे कि धमकाना, दबाव बनाना, और बिना सहमति के तस्वीरें साझा करना।

हालाँकि, भारतीय कानून सहमति-आधारित स्वयं-निर्मित यौन सामग्री (SGSM) और शोषणकारी बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) के बीच अंतर नहीं करते। जो किशोर अपनी यौन रूप से स्पष्ट तस्वीरें या वीडियो बनाते हैं , संग्रहित करते, या साझा करते हैं, भले ही निजी रूप से, वे POCSO अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत अभियोजन के जोखिम में होते हैं। यह नाबालिगों को ऐसे कामों के लिए भी कानूनी परेशानी में डाल सकता है जो आमतौर पर सामान्य माने जाते हैं, और जब उनकी निजी तस्वीरें बिना सहमति साझा की जाती हैं, तब उन्हें मदद लेने से रोकता है ।

अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय निकायों, जिनमें संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समिति शामिल है, ने किशोरों के बीच सहमति-आधारित SGSM को अपराधमुक्त करने का आग्रह किया है, चेतावनी देते हुए कि इस तरह के कृत्यों को अपराधीकरण करना उनकी गोपनीयता और आत्म-अभिव्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन है। विभिन्न न्यायक्षेत्रों ने सहमति-आधारित SGSM और CSAM को अलग करने के लिए कानूनी अपवाद या डाइवर्शन तंत्र लागू किए हैं। जैसे-जैसे डिजिटल अंतरंगता किशोर विकास का हिस्सा बनती है, कानूनी ढांचे को बदलती वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करना चाहिए, और शोषण को सामान्य व्यवहार से अलग करना चाहिए।

निष्कर्ष

किशोरों का निरंतर अपराधीकरण बाल विवाह, बाल तस्करी, और ऑनलाइन बाल यौन शोषण और शोषण से मुकाबला करने के उपाय के रूप में उचित ठहराया नहीं जा सकता। इन अलग-अलग मुद्दों को संबोधित करने के लिए कानून मौजूद हैं, और उनके डिजाइन या कार्यान्वयन में किसी भी कमी के कारण सभी किशोर यौन व्यवहार का सर्वव्यापी अपराधीकरण उचित नहीं ठहराया जा सकता। ऐसे कारक जो बच्चों को नाबालिग विवाह, प्रारंभिक मातृत्व और बाल तस्करी के लिए असुरक्षित बनाते हैं, उनके लिए एक सशक्तिकरण आधारित दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें शामिल हो:

- सामाजिक-आर्थिक उपायों में निवेश,
- कार्यात्मक सामुदायिक-आधारित बाल संरक्षण प्रणाली,
- 18 वर्ष तक मुफ्त और सुलभ शिक्षा,
- जीवन कौशल,
- व्यापक यौन शिक्षा,
- यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक गोपनीय पहुँच,
- लैंगिक रूपांतरणकारी दृष्टिकोण, और
- मजबूत प्रवर्तन प्रणाली।

किशोरों और युवाओं के बीच तथ्यात्मक रूप से सहमति-आधारित और गैर-शोषणकारी यौन कृत्यों का अपराधीकरण उनके संविधान द्वारा संरक्षित गरिमा और गोपनीयता के अधिकारों का अपमान करता है, उनके सर्वोत्तम हितों और विकसित होती क्षमताओं को कमजोर करता है, उन्हें यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँचने से रोकता है, और उनकी स्वतंत्रता की हानि का कारण बनता है। सभी किशोर संबंधों को संभावित शोषण के दृष्टिकोण से देखना स्पष्ट रूप से उन हानियों की उपेक्षा करता है, जो कानून द्वारा संरक्षण पाने वाले किशोरों को पहुँचती हैं।

16 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के बीच यौन कृत्यों का अपराधमुक्तिकरण उनके जीवन, स्वतंत्रता, गरिमा और गोपनीयता के मौलिक अधिकारों, उनके सर्वोत्तम हितों और विकसित होती स्वायत्तता के अनुरूप है। यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि किशोरों को एक महत्वपूर्ण विकासात्मक चरण से गुजरने वाले व्यक्ति के रूप में मान्यता दी जाए और उन्हें संरक्षण के नाम पर सामान्य यौन कृत्यों के अपराधीकरण के आघात का सामना न करना पड़े। यह यह भी सुनिश्चित करता है कि POCSO अधिनियम के तहत सभी सुरक्षा उपाय बने रहें, ताकि उनके खिलाफ गैर-सहमति या शोषणकारी कृत्यों को संबोधित किया जा सके।

इस तरह का अपराधमुक्तिकरण नाबालिग विवाह, तस्करी और साइबर अपराधों से संबंधित अन्य सुरक्षा कानूनों पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, जो स्वतंत्र रूप से लागू रहते हैं। किशोरों को हानि से बचाना उन्हें अन्यायपूर्ण अपराधीकरण के अधीन करने की कीमत पर नहीं होना चाहिए। इसके बजाय, समर्थनात्मक और अधिकार-आधारित हस्तक्षेपों में निवेश करने की आवश्यकता है, जो उन्हें स्वस्थ, सूचित और सशक्त वयस्कता की ओर संक्रमण में मदद करें, जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39(f) में उल्लेखित है।

National Coalition
Advocating for
Adolescent Concerns

enfold